-: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :-

[illegible] अधिकारी :- श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
[illegible] वाद संख्या :- 80 / 2011

उनवान

1. भोमा पुत्र माला
2. नंगा पुत्र माला जाति रावत निवासी ग्राम मजरा बाडा श्रीनगर, नसीराबाद

वादीगण :- जरियें अधिवक्ता श्री अश्विनी धुन्ना

बनाम

1. तेज सिंह पुत्र मंगल सिंह (फौत)
1/1. प्रेम देवी पत्नी तेज सिंह
1/2. अनीता पुत्री तेज सिंह
1/3. लीली पुत्री तेज सिंह
1/4. मुकेश पुत्र तेज सिंह
1/5. ज्ञाना पुत्री तेज सिंह
1/6 माया पुत्री तेज सिंह
1/7. दीपक पुत्र तेज सिंह
2. कमला पत्नी भंवरा
3. घासी पुत्र मंगल सिंह
4. अमरचन्द पुत्र बोदू समस्त जाति रावत निवासी ग्राम श्रीनगर, नसीराबाद
5. छोटू पुत्र धन्ना जाति गुर्जर निवासी ग्राम मजरा बावडी, फव्वारा सर्किल श्रीनगर, नसीराबाद
6. खेम सिंह
7. बिरदा सिंह पुत्र अमर सिंह जाति रावत निवासी ग्राम नारगाल (नोलाया) अजमेर
8. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

प्रतिवादीगण :- 1 से 4 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
8 जरियें राज0 पैरोकार, प्रतिवादी संख्या
5 से 7 अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राज. काश्त. अधि. 1955

-: निर्णय :- दिनांक :- 5.11.20

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीनगर की आराजी का विवरण निम्नवत् है :-

चौसाला		वंर्किग		हाल	
खसरा नम्बर	रकबा	खसरा नम्बर	रकबा	खसरा नम्बर	रकबा
704	11-12-0	1068	3-2-0	1624	0.51
				1624/8801	0.56
		1069	5-10-0	16[illegible]	0.19

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.11.06 16:01:19 IST
Reason: SelfAttested

			1624/7768	0.35
	1070	3-3-0 में से 1-7-0	1620	0.19
			1680/9018	0.21
	1071	4-11-0 में से 1-3-0	1617	0.41
			1618	0.14
			1619	0.19

वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 74 रकबा 11-12-0 राजस्व अभिलेख में सुखा पुत्र मूला गुर्जर के नाम दर्ज थी। उसके वारिस पुत्र भंवरलाल व जगमाल ने उक्त भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.11.94 द्वारा वादीगण को बेचान कर कब्जा व दखल सौप दिया। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 28.11.94 को कानूनन वैध कराने के लिये सुखा पुत्र मूला के तीन लडके रामदेव, श्योदान व रोडू ने वादीगण के पक्ष में दिनांक 10.02.86 को इकरारनामा करवा दिया। व उक्त विक्रय पत्र में अपनी सहमती तहरीर करवायी। हाल खसरा नम्बर 1624/7768, 1625 वादीगण के नाम दर्ज हो गयी। व खसरा नम्बर 1624, 1624/8801 वादीगण ने अपनी पत्नीयों के नाम विक्रय पत्र द्वारा क्रय कर ली है। वंर्किग खसरा नम्बर 1070 व 1071 पर विक्रय पत्र की पालना में नामान्तकरण संख्या 258 दिनलांक 05.06.98 द्वारा खातेदार दर्ज किया गया। किन्तु दौराने बन्दोबस्त उक्त आराजी पुनः प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी। उक्त इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है व भूमि को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः हाल खसरा नम्बर 1620, 1618/9018, 1624/7768, 1617, 1618, 1619 का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे। इस आशय की आज्ञप्ति बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 से 7 प्रकरण में अनुपस्थिति रहे। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग खसरा नम्बर 107 रकबा 3-3-0 व 1071 रकबा 4-11-0 वंर्किग जमाबंदी में मूल खातेदार धन्ना पुत्र मेवा के नाम दर्ज था। धन्ना पुत्र मेवा की मृत्यु के बाद उसके वारिस मांगी पत्नी धन्ना, पांचू घासी, रेंवता बीरम, छोटू पि0 धन्ना के नामनामान्तकरण संख्या 11 दिनांक 12.03.1986 से वंर्किग जमाबंदी में खातेदारी दर्ज की गयी तथा विक्रय से नामान्तकरण संख्या 385 दिनांक 26.05.2000 से उक्त भूमि क्रेता प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज की गयी। इसी अनुरूप हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज की गयी। इस प्रकार आराजी मुतनाजा जवाबकर्ता की क्रयशुदा है जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 काबिज काश्त है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

वाद विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु होने के कारण उसके वारिस रेकार्ड पर लिये गये।

प्रकरण मे निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी दुरूस्ती का अधिकारी है ?
   -- वादीगण
2. आया वाद मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है ?
   -- प्रतिवादी
3. अनुतोष ?

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.11.06 16:01:19 IST
Reason: SelfAttested

...वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय के दस्तावेज पेश किये तथा ...नगा के बयान दर्ज करवाये।

...अधिवक्ता प्रतिवादी ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

...उभयपक्ष सुनी गयी।

...जी का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार ...निम्नवत् है :-

...तनकी संख्या 1 :-

वादीगण का कथन है कि उसके द्वारा साबिक खसरा नम्बर 7041 रकबा 11–12–0 तत्कालीन खातेदार सुखा के वारिस पुत्र भंवरलाल व जगमाल से जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय किया था। वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 668 दिनांक 1.8.68 में उक्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 704 रकबा 11–12–0 सुखा पुत्र मूला के नाम खातेदारी दर्ज है। सुखा के तीन पुत्रों रामेदव, श्यादेान, रोडू पि0 सुखा ने दिनांक 10.2.86 को इकरारनामा कर पूर्व के विक्रय पत्र को स्वीकार किया है। किन्तु वादी ने ऐसी कोई जमाबंदी पेश नही की है जिसमें साबिक खसरा नम्बर 704 तत्कालीन खातेदार सुखा पुत्र मूला अथवा उसके वारिसान के नाम दर्ज हो साथ ही वादी द्वारा सुखा का शजरा प्रमाण पत्र भी पेश नही किया है जिससे स्पष्ट होता हो कि सुखा पुत्र मूला के कितने वारिस है। साथ ही सुख पुत्र मूला के 5 पुत्रों में से 2 पुत्रो द्वारा ही वादीगण के पक्ष में विक्रय किया है अतः साबिक खसरा नम्बर 704 रकबा 11–12–0 का पूर्ण विक्रय नही माना जा सकता है। अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय में खातेदारी अधिकार प्राप्त नही किये जा सकते है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 74 के वंर्किग खसरा नम्बर 1068 रकबा 6–12–0, 1069 रकबा 5–10–0, 1070 रकबा 3–3–0 व 1071 रकबा 4–11–0 बने है जबकि वादीगए ने अपने वाद में इन वंर्किग खसरा नम्बर के आंशिक रकबे का अंकन ही किया है शेष रकबे के बारे में स्थिति स्पष्ट नही की है। वादीगण का कथन है कि उनके द्वारा खसरा नम्बर 704 रकबा 11–12–0 क्रय किया है। तथा खसरा नम्बर 1069 जिसके हाल खसरा नम्बर 1625 व 1624/7768 बने है उनके नाम हाल व वंर्किग जमाबंदी में दर्ज है। साथ ही वंर्किग खसरा नम्बर 1068 जिसके हाल खसरा नम्बर 1624 व 1624/8801 बने है उनकी पत्नियों के नाम क्रय द्वारा दर्ज है। उक्त वंर्किग खसरा नम्बर 1068 व 1069 तथा उनके हाल खसरा नम्बर का रकबा 12–2–0 बनता है जो क्रय रकबे से अधिक है। खसरा नम्बर 1070 व 1071 का कुल रकबा अधिक है जबकि वादी द्वारा आंशक रकबे का अनुतोष चाहा है। वंर्किग खसरा नम्बर 1070 व 1071 के कई हाल खसरा नम्बर बने है वादीगण उक्त खसरा नम्बर में से किस खसरा नम्बर के कितने रकबे पर काबिज है यह प्रकरण में स्पष्ट नही किया है। साथ ही विक्रेता के नाम की जमाबंदी भी पेश नही की है। सुखा पुत्र मूला जिसे मूल खातेदार वादीगण द्वारा बताया गया है के समस्त वारिसान द्वारा विक्रय नहीं करवाया गया है। वादीगण ने अपने वाद में साबिक खसरा नम्बर 704 के समस्त वर्किंग व हाल खसरा नम्बर की स्थिति स्पष्ट नही की है। वंर्किग खसरा नम्बर 1070 व 1071 वंर्किग जमाबंदी में धन्ना पुत्र मेवा से उसके वारिसान के नाम दर्ज हुआ तथा धन्ना पुत्र मेवा के वारिसान द्वारा उक्त आराजी का विक्रय प्रतिवादी को किया है। अतः आराजी मुतनाजा का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। अतः तनकी विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :-

तनकी संख्या 1 के अनुसार वादीगण ... दुरुस्ती के

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.11.06 16:01:19 IST
Reason: SelfAttested

नही है। अतः इस तनकी के पृथक से विवेचन की आवश्यकता नही है।

उक्तानुसार ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 1620, 1680/9018, 1624/7767, 1618, 1619 की आराजी पर वादीगण का वाद "**खारिज**" किया जाता है। पक्षकार खर्चा वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.11.06 16:01:19 IST
Reason: SelfAttested